

2011411

838

8/8/18

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-२४३/xxii/2016-21(10)2011टी.सी।

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

~~3/10/2010~~ समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

~~3/10/2010~~ सूचना अनुभाग

~~3/10/2010~~ विषय:- स्वतन्त्रता दिवस समारोह-2016 के आयोजन संबंधी दिशा निर्देश।  
महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, त्याग और बलिदान का स्मरण कराने वाला 69वें स्वाधीनता दिवस समारोह इस वर्ष भी परम्परागत रूप से 15 अगस्त, 2016 को मनाया जायेगा। इस समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा, विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार संशोधन के प्रतिबंधाधीन निम्नवत् होगी :-

क. सरकारी एवं गैर सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण :

प्रदेश के अन्तर्गत जनपद देहरादून को छोड़कर सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर दिनांक 15 अगस्त, 2016 को प्रातः 9:00 बजे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा तथा प्रातः 9:30 बजे सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के कार्यालय पर जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा, जिसमें जनपद स्तर के कार्यालय के कार्मिक भी भाग लेंगे। तथा जनपद देहरादून के अन्तर्गत सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर प्रातः 9:00 बजे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा, किन्तु प्रदेश मुख्यालय पर स्थित राज्य सचिवालय में ध्वजारोहण मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रातः 9:00 बजे एवं परेड ग्राउण्ड, देहरादून में ध्वजारोहण मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रातः 10:00 बजे किया जायेगा।

(कार्यवाही-समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी/सचिवालय प्रशासन)

ख. प्रदेश मुख्यालय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन :

(i) परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिसके अन्तर्गत प्रातः 10:00 बजे मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। सेना के बैण्ड द्वारा राष्ट्रीयगान सहित थल सेना, पुलिस अर्धसैनिक बल, प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड एन.सी.सी. कैडेट्स, स्काउट गाइड के द्वारा परेड एवं सलामी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राज्य आन्दोलन में हुए शहीदों के परिजनों से मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिष्टाचार भेट आदि कार्यक्रम सम्पन्न होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन एवं समन्वय हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा सर्वसम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा परेड/ग्राउण्ड संदेश तथा परेड ग्राउण्ड में जनता को सम्बोधन की व्यवस्था का समन्वय सूचना विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना निदेशालय/जिलाधिकारी, देहरादून)

(ii) 15 अगस्त को प्रातः मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रदेश की जनता को सन्देश तथा परेड ग्राउण्ड में जनता को सम्बोधन की व्यवस्था का समन्वय सूचना विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही-सूचना निदेशालय/जिलाधिकारी, देहरादून)

5

प्रियोड  
मा. सचिव  
मा. अधिकारी  
परेड ग्राउण्ड  
प्रातः 10:00  
मा. मुख्यमंत्री

(iii) सूचना विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालयों/जनपद मुख्यालयों में प्रमुख चौराहों पर दिनांक 14 अगस्त, 2016 को सायं 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा दिनांक 15 अगस्त, 2016 को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वान्ह तक लाउडस्पीकर के माध्यम से देश प्रेम एवं देश भक्ति के गीतों का प्रसारण किया जायेगा।

(iv) प्रदेश मुख्यालय में दिनांक 14 अगस्त, 2016 की सायं संस्कृति विभाग के द्वारा कवि समेलन/मुशायरा आयोजित किया जायेगा। इस संबंध में सुविधानुसार स्थान का चयन भी संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा।

(v) दिनांक 15 अगस्त, 2016 को प्रदेश मुख्यालय एवं अन्य जनपद में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम यथा खेल-कूद, वृहद वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम आयोजित करने हेतु समस्त जिलाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय किया जायेगा।

(vi) स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिये जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाना है, को चिह्नित कर सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

(vii) सरकारी भवनों/इमारतों एवं ऐतिहासिक इमारतों को प्रकाशनान किये जाने में अनावश्यक व्ययभार से बचा जाय एवं प्रकाशीकरण हेतु कम बोल्टेज के (L.E.D.)बल्बों का प्रयोग किया जाय।

(viii) मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष निर्देश दिये गए कि “इस बार कलाकारों, शिल्परत्नों, हरयाली अभियान को सम्मानित करें। ऐपण से स्थल सजायें।”

(कार्यवाही—समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी)

ग. जिला स्तर पर कार्यक्रम :

(i) समस्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रातः 6:00 बजे प्रभात फैरी निकाली जायेगी। तदोपरान्त अपने शिक्षण संस्थान अथवा पूर्व निर्विष्ट स्थान पर झण्डारोहण, राष्ट्रगान, खेलकूद, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, वाद-विवाद/निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में निदेशक, शिक्षा के द्वारा सर्वसम्बन्धितों को पृथक से मार्गनिर्देश निर्भर किए जायेंगे। इस अवसर पर यह प्रयास किया जायेगा कि छात्र-छात्राओं को स्केप में स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास तथा शहीदों एवं देश भक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों से अवगत कराते हुये उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित करने का प्रयास किया जाय, साथ ही यह अवश्य ध्यान में रखा जायेगा कि कम उम्र के छात्र-छात्राओं को अधिक समय तक खड़े रहने की स्थिति उत्पन्न न हो तथा विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान उनके बैठने की समुचित व्यवस्था, सच्च पेयजल एवं जलपान की उपलब्धि व्यवस्था की जाय। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ध्वजारोहण सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जाय।

(कार्यवाही—महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/समस्त जिलाधिकारी)

(ii) प्रातः 9:00 बजे सभी सरकारी/गैर सरकारी इमारतों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सम्बोधन एवं अन्य उचित कार्यक्रम आयोजित किये जाय। इस अवसर पर सम्बोधन के दौरान राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा साम्राज्यिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाय।

- (iii) किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा/विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाय जिसमें :-
- (क) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय।
- (ख) शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया जाय। (इसकी सूची गृह विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।)
- (ग) विशेष रूप से यह याद दिलाने की चेष्टा की जाय कि हमारे अगणित देश भक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवनभर संघर्ष करके जो स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व नई पीढ़ी पर है।
- (घ) राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक तिरंगे झण्डे के महत्व के बारे में जन-साधारण को बताया जाय।
- (ड.) पंथनिरपेक्षका की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाय कि देश और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है धूमा से नहीं, मेल-जोल से होता है बैर से नहीं, एक-दूसरे के आदर से होता है अनादर से नहीं।
- (च) उक्त आयोजन उन्हीं स्थानों पर करने का प्रयास किया जाय जहाँ वर्ष 1947 में स्वाधीनता के बाद प्रसन्न होकर प्रथम बार यह उत्सव मनाया गया था।
- (छ) पंचायती राज अधिनियम के उद्देश्यों तथा कार्य योजनाओं से जन-साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाय कि पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास तथा ग्राम स्वराज के नये द्वार प्रशस्त करेगी। ग्रामीण पंचायतों को पूर्ण स्वायत्ता और स्वावलम्बन देने के लिए ठोस निर्णय लिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार सत्ता के विकेन्द्रीकरण का क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जो ग्रामवासियों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के नये युग का सूत्रपात करेगा, उनको बताया जाय कि अब गाँवों के विकास में नागरिकों की, मुख्यतः महिलाओं तथा निर्बल वर्ग के सदस्यों की निर्णायिक भूमिका होगी।
- (ज) बढ़ते हुए प्रदूषण तथा जनसंख्या विस्फोट ने हमारी विकास यात्रा को बहुत दुष्प्रभावित किया है। सुखी भविष्य के लिये परिवार कल्याण तथा स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता को रेखांकित किया जाय।
- (झ) दलित, शोषित तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी शासन की प्रतिबद्धताओं, सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे कार्यों तथा विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं के जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाय। यह भी बताया जाय कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए स्वच्छ प्रशासन देना शासन की प्रतिबद्धता है। शासन साम्यदायिक सद्भाव तथा सामाजिक समरसता लाने के लिए संकल्पबद्ध तथा समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए गए प्रयासों पर भी इस अवसर पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाय।
- (झ) गरीबी रेखा से नीचे रहे रहे लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और निराश्रित महिलाओं, विकलांगों तथा अविकसित बुद्धि के लोगों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों, रोजगारपरक योजनाओं, प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार आदि के संबंध में अधिकतम जनसहभागिता इस आयोजन के माध्यम से प्राप्त की जाय जिससे ऐसे वर्ग के लोगों का भी उत्थान हो तथा वे समाज एवं राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सकें।
- (iv) स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2016 की सार्य 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक सरकारी भवनों/इमारतों एवं स्वतन्त्रता संग्राम के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रकाशमान कराया जाय जिसमें व्यापार मण्डलों, गैर शासकीय संस्थाओं व अन्य संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय। प्रकाशीकरण किये जाने में अनावश्यक व्ययभार से बचा जाय तथा प्रकाशीकरण हेतु कम बोल्टेज के बत्बों (L.E.D) का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

5/

- (v) तहसील, ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जायं तथा इसे जनान्देश का रूप देने हेतु अधिक से अधिक जनता, गैर सरकारी संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय।
- (vi) विभिन्न स्मारकों/प्रतिमाओं, पार्कों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, रंग-रौगन एवं सौन्दर्योकरण हेतु संबंधित संस्थाओं/स्थानीय निकायों के माध्यम से यथोचित उपाय किये जायं।


(उपरोक्त समस्त कार्यवाही—समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी)

- > परेड ग्राउण्ड, देहरादून में राज्यस्तरीय कार्यक्रमों हेतु दर्शकों के लिए बारिश से बचाव के लिए शैडो की व्यवस्था की जाय।
- > मा. मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की जनता को सन्देश हेतु समस्त विभागों द्वारा तत्काल सूचनायें सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाय।
- > स्वतन्त्रता दिवस के दिन राज्य के स्कूली बच्चों द्वारा दौड़ आयोजित कराई जाय। इस संबंध में समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वृहत मेराथन दौड़ के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
- > उक्त दिवस पर व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किया जाय।
- > उक्त दिवस के दिन सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से संबंधित आवश्यक कार्यवाही गृह विभाग द्वारा की जाय।
- > महिला स्वयं सहायता समूह को भी व्यापक रूप से स्वतन्त्रता दिवस के कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- > समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोपण के दौरान Flag Code Of India, 2002 के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

दिनांक 08 अगस्त, 2016 से 15 अगस्त, 2016 तक स्वच्छता अभियान मनाया जायेगा।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की पृष्ठभूमि में अपने स्तर पर सर्वसंबंधित विभागों के साथ तत्काल बैठक करते हुए समारोह की उपर्युक्त सामान्य कार्यक्रम रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यक्रमों को अपेक्षाकृत अधिक सफल बनाने हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(शशि शिंह)  
मुख्य सचिव।

संख्या-२५७(१)/xxii/2016-21(10)2011टी.सी.इ., तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3- समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
- 7- मेरार, नगर निगम, देहरादून/समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
- 8- महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/मैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 11- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।

- 12- निप्जी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- एन.आई.सी., सचिवालय।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

— 4.8.2016

(विनोद शर्मा)  
सचिव।